[2019] 1 एस.सी.आर. 161

पूर्व लाख योगेश पठानिया, ए बनाम

वी.यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

(एलए। बी

(

2016 की सिविल अपील डी संख्या 14214) में 08 जनवरी, 2019

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता, जेजे]

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 - धारा 30 आर/डब्ल्यू एस 31 - सी अनुशासनात्मक कार्यवाही - वायु सेना अनुशासन के अच्छे आदेश का उल्लंघन - कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी - जिला कोर्ट मार्शल (डीसीएम) ने अपीलकर्ता को अपने वरिष्ठ अधिकारी के लिए अधीनस्थ भाषा का उपयोग करने, आपराधिक बल का उपयोग करने और वायु सेना अनुशासन के अच्छे आदेश के लिए प्रतिकूल कार्य करने के लिए दोषी पाया - ट्रिब्यूनल ने डीसीएम के निष्कर्षों डी से सहमति व्यक्त की और अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कदाचार साबित करने के लिए प्रत्यक्ष सबूत थे। अपीलकर्ता की ओर से और वरिष्ठ अधिकारी को आपराधिक बल के उपयोग में उसकी भागीदारी; उस अपीलकर्ता ने यह भी स्वीकार किया कि उसने उस दिन कुछ शराब पी थी; यह कि अनियंत्रित भीड़ में अपीलकर्ता की उपस्थिति का प्रत्यक्ष सबूत था और अपीलकर्ता का स्टैंड ई कि उसे थप्पड़ मारा गया था, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से भी नहीं बनता था - सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील - माना: ट्रिब्यूनल ने सबूतों की फिर से सराहना की थी और डीसीएम के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की थी - ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था और, इसलिए, अधिनियम की धारा 30 और 31 एफ के तहत सुप्रीम कोर्ट में निहित अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी - अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट में अपील ट्रिब्यूनल की अनुमति के साथ सुनवाई योग्य है और इस तरह की छुट्टी इस आधार पर दी जा सकती है कि "सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का एक बिंदु" या "सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदु एक है। उस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए " - सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून जी इस मामले में शामिल नहीं है ताकि अपीलकर्ता को वायु सेना अधिनियम, 1950 - धारा 161 (2) के तहत छुट्टी देने का अधिकार दिया जा सके। अपील के साथ आई.ए. को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा: 1. पीडब्ल्यू 11 से अपीलकर्ता के साथ हाथापाई के सवाल पर जिरह की गई थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उससे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 161 रिपोर्टों [2019] 1 एससीआर

वास्तव में, उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने उन्हें पीछे से धक्का दिया, जबकि एलएसी ने उनके बाएं गाल पर थप्पड़ मारा। गवाह का बयान यह था कि अपीलकर्ता ने शराब पी थी क्योंकि उसे बदबू आ रही थी और उसका भाषण और व्यवहार अच्छा नहीं था। गवाह ने अपीलकर्ता से पूछा कि क्या उसने शराब पी थी। अपीलकर्ता का जवाब था कि न केवल उसने बल्कि हर किसी ने शराब पी थी तो अकेले उससे पूछताछ क्यों की जा रही है। पीडब्ल्यू 11 ने कहा कि उसने अपीलकर्ता का बायां हाथ पकड़ा और बिलेट की ओर 2-3 कदम आगे बढ़ा और अपीलकर्ता को बिलेट के पास जाने के लिए कहा। लेकिन अपीलकर्ता 5-6 मीटर चलने के बाद जल निकासी के सीमेंट के ढक्कन पर बैठ गया। उसने फिर से अपना बायां हाथ पकड़ा और उसे बिलेट के पास जाने के लिए कहा लेकिन वह नहीं गया। जिरह में उसने इस बात से इनकार किया कि उसने अपीलकर्ता को धक्का दिया, उसने गवाही दी कि उसने अपने हाथ पकड़े हुए थे, क्योंकि वह शराब के नशे में था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपीलकर्ता को थप्पड़ मारा था। यह सवाल कि क्या पीडब्ल्यू 11 ने अपीलकर्ता को थप्पड़ मारा है, तथ्य का सवाल है। ट्रिब्यूनल ने आरोप संख्या 3, 5 और 7 को साबित करने के लिए गवाहों के बयानों की जांच की। इस प्रकार, अपीलकर्ता का यह रुख कि उसे थप्पड़ मारा गया था, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से नहीं बनता था। ट्रिब्यूनल ने सबूतों की फिर से सराहना की और डीसीएम के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की। ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था और इसलिए, अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत इस न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। इसमें सामान्य सार्वजनिक महत्व का कोई कानून शामिल नहीं है जो अपीलकर्ता को छुट्टी देने की आवश्यकता हो। [पैरा 11, 12, 13] [166-डी-एच; 167-ए-बी,

एफ]सिविल

अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की सिविल

अपील डायरी संख्या 14214 में 2016 का

आईए नंबर 1।सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ के दिनांक 06.08.2015 के निर्णय और आदेश से 2010 के ओ.ए. संख्या 324 में चंडीमंदिर और 2010 के ओ.ए. संख्या 324 में 2015 के एम.ए. संख्या 3358 और 3367 में दिनांक 13.1.2016 के आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से डीके ठाकुर, वरिंदर कुमार शर्मा, वकील।

श्रीमती माधवी दीवान, एएसजी, आर बालासुब्रमण्यम, वंकटेश, एके शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, एडवोकेट। पूर्व लाख योगेश पठानिया बनाम भारत संघ

न्यायालय का निर्णय

हेमंत गुप्ता, जे. 1. द्वारा सुनाया गया था। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 31 के साथ धारा 30 के तहत वर्तमान अपील 2016 के आईए नंबर 1 के साथ अपील करने की अनुमति मांगने के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़, चंडीमंदिर में क्षेत्रीय पीठ (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा ओए (2010 की अपील संख्या 324) में 06.08.2015 को पारित एक आदेश से उत्पन्न होती है।

2. अधिकरण के समक्ष अपील को निष्कर्षों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था और दिनांक 01.02.2010 को जिला कोर्ट मार्शल (संक्षेप में डीसीएम के लिए) द्वारा दी गई सजा की दिनांक 09.03.2010 को पुष्टि की गई और वायु सेना प्रमुख द्वारा वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 161 (2) के तहत उनकी वैधानिक शिकायत को अस्वीकार किए जाने के खिलाफ भी निर्देश दिया गया। डीसीएम की शुरुआत 22-05-2009 और 23-05-2009 की दरम्यानी रात को हुई एक घटना के कारण की गई थी, जिसमें 22-05-2009 को 2150 बजे से 2210 बजे के बीच टीवी चैनल बदलने पर एनटीटीआई से जुड़े मॉडचूल-II एयरमैन प्रशिक्षुओं और टीवी रूम में लेखा रूपांतरण पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं द्वारा वायु सेना अनुशासन के अच्छे क्रम का उल्लंघन किया गया था।

3. अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित घटना डकोटा 'ए' ब्लॉक और मुख्य द्वार पर 2240 बजे के बाद हुई। सबूतों के सारांश के बाद कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आयोजित की गई थी। इसके बाद अपीलकर्ता पर डीसीएम द्वारा कदाचार के सात आरोपों में मुकदमा चलाया गया। डीसीएम ने अपीलकर्ता को आरोप संख्या 3, 5 और 7 का दोषी पाया है, जो निम्नानुसार है:

“3. धारा 40 (सी) वायु सेना अधिनियम, 1950 के तहत अपने वरिष्ठ अधिकारी के लिए अधीनस्थ भाषा का उपयोग करने के लिए; 22 मई 2009 को 405 वायु सेना स्टेशन पर जब 647216 एमडब्ल्यूओ एमएल रणवान कैट असिस्टेंट ने बिलेट्स में सीटी बजाने के संबंध में जांच की, तो उन्होंने उनसे कहा, "मैंने कोई सीटी नहीं बजाया है, आपको जो करना है करलो और आप मेरा कुछ नहीं कर सके। या इस आशय के शब्द।

5. वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 40 (ए) के तहत अपने वरिष्ठ अधिकारी पर आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए, जिसमें उन्होंने 22 मई 2009 को 2230 बजे से 2345 बजे के बीच 405 वायु सेना स्टेशन पर उक्त डब्ल्यूओ आगर सिंह को पीछे से धक्का देकर डब्ल्यूओ आगर सिंह इक्वेट असिस्टेंट को 672315 करने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया।

7. वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 65 के तहत अच्छे आदेश और वायु सेना अनुशासन के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य के लिए

। इसमें उन्होंने, 405 वायु सेना सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 1 एससीआर में कहा।

22 मई 2009 और 23 मई 2009 की दरम्यानी रात को स्टेशन

ने इंटेक 02/09 के मॉड्यूल-II प्रशिक्षुओं के एक समूह को अनुचित तरीके से उकसाया

, जो मेन गार्ड रूम में इकट्ठा हुए और जो "

हमें चाहिए सीआई", "तुम अपाना हाथ

नीचे रखो", "हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे

," "सीआई बैंगलोर से आ रहा है या

क्या, वह इतना समय क्यों ले रहे हैं

, "सीआई को बुलाओ", "सी नहीं तो एओसी-इन-सी को बुलाओ," "सी को बुलाएंगे," "स्टेशन कमांडर

 को बुलाएंगे," "सी-इन-सी को भी बुलाएंगे," या

 इस आशय के शब्द।

4. डीसीएम के सामने, अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों का परीक्षण किया, जबकि अपीलकर्ता ने बचाव में 3 गवाहों का परीक्षण किया। रिकॉर्ड पर सबूतों की जांच करने के बाद, अपीलकर्ता को पांच महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई और सेवा से बर्खास्तगी का आदेश भी पारित किया गया। ऐसी सजा की पुष्टि दिनांक 09-03-2010 को की गई थी बशर्ते कि सश्रम कारावास की सजा को घटाकर दो माह कर दिया जाए। इसके बाद एक वैधानिक शिकायत दर्ज की गई जिसे भी खारिज कर दिया गया।

5. ट्रिब्यूनल ने अधिनियम की धारा 15 के तहत अपील में, पार्टियों के नेतृत्व में सबूतों की जांच की और डीसीएम द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाई और परिणामस्वरूप अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद, अपील दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन के साथ वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

6. घटना की पृष्ठभूमि यह है कि 22.05.2009 को टीवी चैनल बदलने को लेकर टीवी रूम में लेखा रूपांतरण पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं और मॉड्यूल II एयरमैन प्रशिक्षुओं के बीच अभद्र भाषा के प्रयोग के साथ मौखिक लड़ाई हुई थी। स्क्वाड्रन ड्यूटी ऑफिसर (सार्जेंट बीपी सिंह) और अर्दली ऑफिसर (जेडब्ल्यूओ जेए राणा) ने प्रशिक्षुओं के बीच आगे की लड़ाई से बचने के लिए टीवी रूम को बंद करवा दिया। एलएसी एस. संतरा ने प्रशिक्षुओं के दो समूहों के बीच आगे की लड़ाई की संभावना को भांपते हुए डब्ल्यूओ आगर सिंह को स्थिति की जानकारी दी। डब्ल्यूओ आगर सिंह ने एमडब्ल्यूओ एमएल रणवान (कैट असिस्टेंट, असिस्टेंट फ्लाइट सीडीआर कैटरिंग फैकल्टी) को सूचित किया, जिन्होंने आगर सिंह और अन्य दो संकाय प्रशिक्षकों - सार्जेंट ए के यादव और सार्जेंट डी प्रदीप को डकोटा 'ए' ब्लॉक में गड़बड़ी के स्थान पर निर्देशित किया। डकोटा 'ए' ब्लॉक में उपद्रव स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रोशनी खत्म होने के बाद प्रशिक्षु हूटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं और उपद्रव कर रहे हैं। पूर्व लाख योगेश पठानिया बनाम भारत संघ

 [हेमंत गुप्ता, जे.]

 7. अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने डकोटा 'ए' ब्लॉक का दौरा करने पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। ट्रिब्यूनल ने पाया कि आरोप संख्या 3 के संबंध में, पीडब्ल्यूआई एमएल रणवान, पीडब्ल्यू 2 एस संत्रा, पीडब्ल्यू 8 डी प्रदीप, पीडब्ल्यू 9 एके यादव और पीडब्ल्यू 11 आगर

सिंह के कदाचार साबित करने के लिए प्रत्यक्ष सबूत हैं। ट्रिब्यूनल ने पाया कि अपीलकर्ता की स्वीकारोक्ति के अनुसार, उसने उस दिन बहुत कम शराब पी थी। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने आरोप संख्या 5 के संबंध में पाया कि पीडब्ल्यू 2 एस संतरा, पीडब्ल्यू 8 डी प्रदीप, पीडब्ल्यू 9 एके यादव और पीडब्ल्यू 11 आगर सिंह के प्रत्यक्ष सबूत हैं, हालांकि मामूली भिन्नताओं के साथ, लेकिन इस तरह के बयानों ने वारंट अधिकारी आगर सिंह पीडब्ल्यू 11 पर आपराधिक बल के उपयोग में अपीलकर्ता की भागीदारी की पुष्टि की, जब उसे एलएसी रितुधज लेखा सहायक द्वारा मारा जा रहा था। इसी तरह, आरोप संख्या 7 के संबंध में, ट्रिब्यूनल ने पाया कि पीडब्ल्यू 1 एमएल रणवां, पीडब्ल्यू 3 बीपी सिंह, पीडब्ल्यू 4 सीपीएल अरुण यादव, पीडब्ल्यूएस आई जे सिंह, पीडब्ल्यू 6 पी पाढ़ी, पीडब्ल्यू 8 डी प्रदीप, पीडब्ल्यू 9 ए के यादव, पीडब्ल्यू 10 स्क्वाड्रन लीडर सम्राट पाल चौधरी, पीडब्ल्यू 11 आगर सिंह, पीडब्ल्यू 12 धीरज दलाल और डीडब्ल्यू 3 जे कुमार के प्रत्यक्ष सबूत हैं कि अपीलकर्ता अनियंत्रित भीड़ में मौजूद था जिसमें मुख्य रूप से मॉडचूल -2 प्रशिक्षु शामिल थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे। मुख्य गार्ड रूम में और उसके पार। डीडब्ल्यू 2 हरविंदर ने पुष्टि की कि अपीलकर्ता आईसीआईसीआई एटीएम के पास खड़ा था

। अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्षय को ट्रिब्यूनल द्वारा उचित तरीके से ध्यान में नहीं रखा गया है और वास्तव में गलत पढ़ा गया है। अपीलकर्ता के वकील ने पीडब्ल्यू 2 संत्रा, पीडब्ल्यू 8 डी प्रदीप और पीडब्ल्यू 12 धीरज दलाल के बयानों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि ऐसे गवाहों के बयान अपीलकर्ता द्वारा सीटी बजाने के आरोप को साबित नहीं करते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि 408 वायु सेना स्टेशन के पीडब्ल्यू 12 धीरज दलाल लेखा सहायक को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था। गवाह से यह साबित करने के लिए पूछताछ की गई कि अपीलकर्ता ने 22.05.2009 को लगभग 22.45 बजे 405 वायु सेना स्टेशन पर ए-9 बिलेट पर सीटी बजाकर अनुचित तरीके से गड़बड़ी पैदा की।

9. हमें इस तरह के तर्क में कोई दम नहीं दिखता क्योंकि डीसीएम द्वारा आरोप संख्या 2 साबित नहीं किया गया है। इसलिए, पीडब्ल्यू 12 धीरज दलाल के बयान पर अपीलकर्ता द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता है ताकि डीसीएम द्वारा चार्ज नंबर 3, 5 या 7 पर दर्ज किए गए निष्कर्षों को अस्वीकार किया जा सके।

10. यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता को डब्ल्यूओ ए गार सिंह द्वारा थप्पड़ मारा गया था। इस तरह के रुख की पुष्टि डीडब्ल्यू 2 एलएसी हरविंदर और डीडब्ल्यू 3 जे कुमार के बयानों से की जा सकती है। डीडब्ल्यू 2 एलएसी हरविंदर ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 1 एससीआर को खारिज कर दिया है।

लगभग 2300 बजे वह अपने भाई से अपने मोबाइल पर बात कर रहा था, जब वह ए -9 बिलेट की सीढ़ी के पास खड़ा था, जब उसने डब्ल्यूओ आगर सिंह को अपीलकर्ता को थप्पड़ मारते हुए देखा। उन्होंने लगभग 10-15 मिनट के बाद ग्राउंड फ्लोर से 'फॉल-इन एट गार्ड रूम' कहने वाली आवाजें सुनीं। जिरह में उसने कहा कि उसने डब्ल्यूओ आगर सिंह को अपीलकर्ता को एक थप्पड़ मारते हुए देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब स्क्वाड्रन लीडर चौधरी ने अपीलकर्ता से कुछ पूछा, तो अपीलकर्ता की प्रतिक्रिया थी "मैंने दो पेग पिया है"। दूसरी ओर, डीडब्ल्यू 3 ने कहा कि डब्ल्यूओ आगर सिंह ने अपीलकर्ता को अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं गाल पर चार बार थप्पड़ मारा। वह स्वीकार करते हैं कि मुख्य द्वार की ओर जाते समय प्रशिक्षु चिल्ला रहे थे "हमें सीआई चाहिए, सीआई नहीं तो एसटीएन सीडीआर को बुलाओ, एसटीएन सीडीआर नहीं तो सी-इन-सी को बुलाओ"। वह स्वीकार करता है कि वह भी ये नारे लगा रहा था। वह स्वीकार करता है कि उसने डीसीएम के सामने एमडब्ल्यूओ एमएल रणवां के लिए अधीनस्थ भाषा का इस्तेमाल करने और भीड़ का नेतृत्व करने और नारे लगाने के लिए दोषी ठहराया। वह सीआई से मिलना चाहते थे क्योंकि अपीलकर्ता को डब्ल्यूओ आगर सिंह ने थप्पड़ मारा था।

11. पीडब्ल्यू 11 अपीलकर्ता के साथ हाथापाई के सवाल पर पीडब्ल्यू 11 आगर सिंह से जिरह की गई लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इससे इनकार कर दिया। वास्तव में, उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने उन्हें पीछे से धक्का दिया, जबकि एलएसी आर राठी लेखा सहायक ने उनके बाएं गाल पर थप्पड़ मारा। गवाह का बयान यह है कि अपीलकर्ता ने शराब पी है क्योंकि उसे बदबू आ रही थी और उसका भाषण और व्यवहार अच्छा नहीं था। गवाह ने अपीलकर्ता से पूछा कि क्या उसने शराब पी है। अपीलकर्ता का जवाब था कि न केवल उसने बल्कि सभी ने शराब पी थी तो अकेले उससे पूछताछ क्यों की जा रही है। पीडब्ल्यू 11 आगर सिंह ने कहा कि उसने अपीलकर्ता का बायां हाथ पकड़ा और बिलेट की ओर 2-3

कदम बढ़ गया और अपीलकर्ता को बिलेट के पास जाने के लिए कहा। लेकिन अपीलकर्ता 5-6 मीटर चलने के बाद जल निकासी के सीमेंट के ढक्कन पर बैठ गया। उसने फिर से अपना बायां हाथ पकड़ा और उसे बिलेट के पास जाने के लिए कहा लेकिन वह नहीं गया। जिरह में उसने इस बात से इनकार किया कि उसने अपीलकर्ता को धक्का दिया, उसने गवाही दी कि उसने अपने हाथ पकड़े हुए थे, क्योंकि वह शराब के नशे में था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपीलकर्ता को थप्पड़ मारा था। यह सवाल कि क्या डब्ल्यूओ आगर सिंह ने अपीलकर्ता को थप्पड़ मारा है, तथ्य का सवाल है। ट्रिब्यूनल ने आरोप संख्या 3, 5 और 7 को साबित करने के लिए गवाहों के बयानों की जांच की है। इस प्रकार, अपीलकर्ता का यह रुख कि उसे थप्पड़ मारा गया था, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से नहीं बनता है। ट्रिब्यूनल ने सबूतों की फिर से सराहना की है और डीसीएम के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की है। पूर्व लाख योगेश पठानिया बनाम भारत संघ [हेमंत गुप्ता, जे।

12. हमने सबूतों की सराहना की है, भले ही, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता के खिलाफ कथित कदाचार के संबंध में तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया है। हम पाते हैं कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है और इसलिए अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत इस न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

“30. 1) धारा 31 के प्रावधानों के अधीन, ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णय या आदेश (धारा 19 के तहत पारित आदेश के अलावा) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी: बशर्ते कि ऐसी अपील उक्त निर्णय या आदेश के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पसंद की जाती है: बशर्ते कि ट्रिब्यूनल के मध्यस्थ आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

31. (1) उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकरण की अनुमति के साथ होगी; और ऐसी छुट्टी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अधिकरण द्वारा यह प्रमाणित न किया जाए कि निर्णय में सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का एक बिंदु शामिल है, या सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह बिंदु वह है जिस पर उस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

13. अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, इस न्यायालय में अपील ट्रिब्यूनल की अनुमति के साथ सुनवाई योग्य है और इस तरह की छुट्टी इस आधार पर दी जा सकती है कि "सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का एक बिंदु" या "सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदु वह है जिस पर उस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए"। जिस बिंदु पर यह न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा, वह सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का बिंदु है। हम नहीं पाते हैं कि सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का कोई बिंदु शामिल है जो अपीलकर्ता को छुट्टी देने की आवश्यकता हो सकती है। परिणामतः, सिविल अपील के साथ 2016 का आईए नंबर 1 खारिज कर दिया जाता है।

देविका गुजराल जेए और अपील खारिज।

Digitally signed by Aroma Raman Picess
Date: 2023.10.31 10:30:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Bareilly